



2026:AHC:127148

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19752 वर्ष 2026

अभिजीत राजपूत..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : इंद्र पाल सिंह राजपूत

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. धारा 61(2), 310 बी.एन.एस., थाना तालग्राम, जिला कन्नौज के तहत केस अपराध संख्या- 16 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का नाम दिनांक 29.1.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। चार अन्य सह-आरोपियों को पुलिस ने 22.2.2026 को गिरफ्तार किया और उन्होंने अपने इकबालिया बयानों में आवेदक और दो अन्य लोगों का नाम लिया, जो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। आवेदक के कब्जे से अथवा उसकी निशानदेही पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह के सह-आरोपियों,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अर्थात् वाशीद खान, साद खान, विशाल कुमार यादव @ विक्की, शीतल श्रीवास्तव और योगेश राजपूत @ विनय को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है, जमानत आदेशों की प्रतियां आवेदन में अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न की गई हैं। वह आगे तर्क देता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17.5.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-आरोपियों, अर्थात् वाशीद खान, सादाब खान, विशाल कुमार यादव @ विक्की, शीतल श्रीवास्तव और योगेश राजपूत @ विनय को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्तों, अर्थात् वाशीद खान, सादाब खान, विशाल कुमार यादव @ विक्की, शीतल श्रीवास्तव और योगेश राजपूत @ विनय को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उन्हीं आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 17.5.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक-अभिजीत राजपूत, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस



शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं. / 84 भा.ना.सु.सं. के अधीन उद्धोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-क भा.दं.सं. / 209 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ होने, (2) आरोप तय किए जाने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति विचारपूर्वक या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम (default) को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना खुला होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।